(19)

भारत सरकार
Govt; of India
रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)
(Railway Board)

RBE No. 12 /96

No.E(P&A)II-95/HRA/3 New Delhi, Dated : 14.2.96

The General Managers,
All Indian Railways &
Production Units etc.

Sub : Admissibility of House Rent Allowance in the event of non-acceptance or surrender of railway residential accommodation.

Attention is invited to Board's letter No. E(P&A)II-87/HRA/15 dated 16.5.1988 delegating powers to the General Managers and other heads of organisations directly controlling allotment of quarters to railway servants for sanction of House Rent Allowance (HRA) to the categories of railway employees mentioned in para 1 thereof in accordance with the prescribed conditions.

2. The question of renewing this delegation of powers beyond 31.3.1995 has been engaging the attention of the Board for sometime past. On the basis of the reports received from the Zonal Railways and Production Units, the matter has been considered and the Board have decided to renew the sanction contained in para 5 of their letter dated 16.5.1988, ibid, w.e.f. 1.4.1995 upto 31.3.2002 whereafter the question of renewing the delegation will be considered by the Board and a fresh sanction, if necessary, issued on the basis of reports received from the General Managers etc. directly controlling allotment of quarters, in regard to the position of availability of railway accommodation under their control.

.....2/-

3. This delegation is subject to the terms and conditions stipulated in Board's letter dated 16.5.1988 and to the over-riding condition that these orders are liable to be withdrawn/modified at any time during this period if considered necessary by the Railway Board to do so.

4. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Kindly acknowledge receipt.

(SHIV DAN SINGH)
JT.DIRECTOR, ESTABLISHMENT(P&A)
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)II-95/HRA/3 New Delhi, Dated : 14.2.96

Copy (With 40 spares) forwarded to the A.D.A.I (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/
Railways

Encl./One.

No.E(P&A)II/95/HRA/3 New Delhi, Dated : 14.2.96

Copy forwarded to the :-

1. Financial Adviser and Chief Accounts Officers:-
   (a) All Indian Railways, CLW, DLW, ICF, Metro Railways/ Calcutta; MTP(R), Delhi/Bombay/Madras; DCW/ Patiala; RCF/Kapurthala.

आर बी ई सं. 12 /96

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(पी एंड ए)।।-95/एच आर ए/3 नई दिल्ली, दि0 14.2.96

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय :- रेलवे रिहायशी आवासों की गैर-स्वीकृति अथवा अभ्यर्पण की स्थिति में मकान किराया भत्ते की स्वीकार्यता.

. . . . . .

बोर्ड के दिनांक 16.5.1988 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए) ।।-87/एच.आर.ए./15 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें महाप्रबंधकों तथा रेल कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन को प्रत्यक्षतः नियंत्रित करने वाले यूनिटों के अन्य प्रमुखों को निर्धारित शर्तों के अनुसार इसके पैरा । में उल्लिखित रेल कर्मचारियो की कोटियों को मकान किराया भत्ते की स्वीकृति हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ।

2. इन शक्तियों का 31.3.1995 से आगे नवीकरण करने के प्रश्न पर बोर्ड पिछले कुछ समय से विचार करता रहा है । क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इस मामले पर विचार किया गया है तथा बोर्ड ने 16.5.1988 के अपने के पत्र के पैरा 5 में अन्तर्विष्ट स्वीकृति को 1.4.1995 से 31.3.2002 तक नवीकरण करने का विनिश्चय किया है जिसके बाद बोर्ड द्वारा इस प्रत्यायोजन के नवीकरण करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने नियंत्रणाधीन रेलवे आवास की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में क्वार्टरों के आबंटन को प्रत्यक्षतः [illegible] करने वाले महाप्रबंधकों आदि से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर [illegible] जारी की जाएगी ।

......./-

3. यह प्रत्यायोजन बोर्ड के 16.5.1988 के पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन होने के साथ ही यह अतिरिक्त शर्त होगा कि ये आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसा आवश्यक समझे जाने पर, इस अवधि के दौरान किसी भी समय वापस लिये/संशोधित किए जा सकते हैं।

4. इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

(शिवदान सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड।

सं. ई (पी एंड ए) II-95/एच.आर.ए/3 नई दिल्ली, दिनांक 14.2.96

प्रतिलिपि भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित.

संलग्नक : एक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

सं. ई (पी एंड ए) II-95/एच आर ए/3 नई दिल्ली, दिनांक 14.2.96

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें, चिरेका, डीरेका, सडिका, मेट्रो रेलें/कलकत्ता, दिल्ली/बम्बई/मद्रास, डी.पु.का/पटियाला, रे.को.फै.

संयंत्र, बेंगलूरू.

रेल (सी) मालीगांव, मध्य रेल (सी), बेंगलूरू, दक्षिण

वापटटनम 530 004.

नयी दिल्ली
नयी दिल्ली

....../